



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 जयेष्ठ, 1942 (श०)

संख्या- 277 राँची, शुक्रवार,

19 जून, 2020 (ई०)

#### नगर विकास एवं आवास विभाग

-----  
अधिसूचना

18 जून, 2020

संख्या-8/चुनाव/03/2020/न.वि.आ-1607-- देवघर, धनबाद एवं चास नगर निगम, चक्रधरपुर, झुमरीतिलैया एवं विश्रामपुर नगर परिषद तथा कोडरमा एवं मझियांव नगर पंचायत का निर्वाचन वर्ष 2015 में सम्पन्न हुआ था। निर्वाचित नगर पर्वद(Board) का कार्यकाल दिनांक-18.06.2020 को समाप्त हो रहा है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा घोषित कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपने आदेश ज्ञापांक-519, दिनांक-05.05.2020 द्वारा उक्त नगर निकायों का मई-जून, 2020 में आम एवं कतिपय अन्य निकायों में उप निर्वाचन को स्थगित किया गया है।
- विधि विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा इस संबंध में विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त कर प्रतिवेदित किया गया है कि निर्वाचित नगर परिषद की पाँच वर्ष की अवधि पूरी होने पर यदि निर्वाचन कार्य ससमय कराना संभव न हो तो, राज्य सरकार संबंधित नगर निकायों की शक्तियाँ एवं कार्यकलाप के निष्पादन हेतु झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-16 (8) के अधीन प्रशासक अथवा प्रशासक पर्वद की नियुक्ति कर सकती है।

4. उक्त आलोक में वर्णित नगर निकायों में पदस्थापित नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी को आम निर्वाचन के पश्चात् नगर पर्षद (Board) के प्रथम बैठक तक प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रशासक के रूप में नियुक्त पदाधिकारी निकाय बोर्ड की सभी शक्तियों एवं कार्यों का नियमानुसार संचालन करेंगे।
5. अधिसूचना दिनांक-19.06.2020 से आगामी निर्वाचन के पश्चात् गठित होने वाले नगर पर्षद (ULB Board) की पहली बैठक सम्पन्न होने तक प्रभावी होगी।
6. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 17.06.2020 में अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**विनय कुमार चौबे,**  
सरकार के सचिव।

-----